समाहरणालय, मधेपुरा

(स्थापना शाखा)

-: आदेश :-

अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के पत्रांक 472-2, दिनांक 06.02.2012 द्वारा श्री सत्यप्रिय प्रखंड नाजीर, उदाकिशुनगंज द्वारा प्रखंड में संधारित सहायक रोकड़ पंजी, सामान्य रोकड़ पंजी आदेश के वाबजूद भी अद्यतन नहीं करने के कारण, इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 145-2/स्था0, दिनांक 23.03.2012 द्वारा जिला लेखा पदाधिकारी, मधेपुरा के अध्यक्षता में जाँच दल गठित किया गया। जिला लेखा पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 402/लेखा दिनांक 13.06.2012 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 14.08.2011 तक ही रोकड़ पंजी में प्रविष्टि की गई थी, जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के पत्रांक 270-2 दिनांक 01.02.2013 द्वारा श्री सत्यप्रिय कुमार, उ0व0लिपिक -सह- नाजीर, प्रखंड कार्यालय, उदाकिशुनगंज से प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के माध्यम से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। परन्तु श्री कुमार के द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के पत्रांक 267-2 दिनांक 03.04.2013 के आधार पर इस कार्यालय के पत्रांक 275-2/स्था0,दिनांक 11.04.2013 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर भेजने का निदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी,उदाकिशुनगंज को दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा निम्नांकित तीन आरोप गठित किया गया:-

1. अगस्त 2011 से प्रखंड नजारत, उदाकिशुनगंज का रोकड़ पंजी अद्यतन नहीं करना।
2. अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के निदेश तथा चेतावनी की परवाह न करना।
3. जिला स्थापना उप-समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं देना।

अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के पत्रांक 1160-2 दिनांक 04.05.2013 से आरोप पत्र प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 550-2/स्था0, दिनांक 17.06.13 द्वारा भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, मधेपुरा को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी -सह- भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज के पत्रांक 140-2 दिनांक 21.1.2014 से अधिगम प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्न प्रकार है:-

<u>आरोप संख्या 01</u>- अगस्त 2011 से प्रखंड नाजीर द्वारा रोकड़ पंजी अद्यतन नहीं करने संबंधी आरोप को सही पाया।

<u>आरोप संख्या 02</u>- संचालन पदाधिकारी ने आरोप सही नहीं पाया। प्रखंड नाजीर के द्वारा रोकड़ पंजी अद्यतन करने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी का अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं होने के कारण रोकड़ पंजी अद्यतन नहीं किया गया।

<u>आरोप संख्या 03</u>- संचालन पदाधिकारी ने मंतव्य दिया कि "इस संबंध में कोई भी साक्ष्य पस्तुत नहीं किया गया।" संचालन पदाधिकारी के मंतव्य, अधिगम एवं अभिलेख के अवलोकनोपरान्त आरोपी श्री सत्यप्रिय कुमार, नाजीर-सह-उ0व0लिपिक, प्रखंड कार्यालय, उदाकिशुनगंज पर आरोप सही पाया गया। अतः बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 संशोधित 2010 के नियम 14(i) एवं (v) के अन्तर्गत निम्न दण्ड दिया जाता है:-

1. दो वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है।
2. कर्त्तव्यहीनता के लिये इन्हें निंदन की सजा दी जाती है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि श्री सत्यप्रिय कुमार, नाजीर -सह-उ0व0लिपिक के सेवापुस्त में उक्त दण्ड का प्रविष्टि कर, तदनुरूप कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्रवाई की सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 462-2 /स्था0, मधेपुरा, दिनांक 20-06-2014

प्रतिलिपिः- श्री सत्यप्रिय कुमार,नाजीर-सह-उ0व0लिपिक,प्रखंड कार्यालय,उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ एवं प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/मधेपुरा/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,मधेपुरा जिला/ सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,मधेपुरा/ आई0 टी0 प्रबंधक, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/06/14
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।